[2023] 5 एस. सी. आर. 717

ए.

दीपाक आनंद पाटिल बनाम.

महाराष्ट्र और ओ. आर. एस. का राज्य (2023 की सिविल अपील संख्या 88-89)

बी.

04 जनवरी, 2023

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई और पामिदिघांतम श्री नरसिम्हा**,** जे।**]**

महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 -धारा 11-सहकारी समिति (मुख्य रूप से चीनी के उत्पादन में लगे) के लगभग 2000 सदस्यों को हटाने की मांग करने वाली शिकायतें, उप-कानूनों के संदर्भ में उनकी पात्रता पर विवाद करते हुए-कुल 1415 सदस्यों को हटाने का निर्देश दिया गया-उनकी शुद्धता-आयोजितः यू/एस ऑर्डर करें।11 सदस्यों के लिए इसके गंभीर परिणाम होते हैं-क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) द्वारा एक सर्वव्यापी आदेश पारित किया गया था, जिससे पहले कारण बताने के लिए एक सामान्य नोटिस जारी किया गया था जो सहकारी समिति को जारी किया गया था-प्रत्येक सदस्य के खिलाफ लगाए गए अयोग्यता के आधार पर कोई विचार नहीं किया गया था-आरोपों को सत्यापित करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें निष्कर्ष थे कि व्यक्तिगत सदस्यों की पात्रता उन्हें या सहकारी समिति को प्रदान नहीं की गई थी-आदेश यू/एस।11 किसी विशेष व्यक्ति को समाज की सदस्यता से बाहर करने के लिए कार्य करता है-प्रत्येक सदस्य के संबंध में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, जिसकी सदस्यता को हटाने की मांग की जाती है-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ था-सदस्यों के इतने बड़े समूह को सहकारी समिति की सदस्यता से बाहर करने के परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता होगी जब तक कि प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत तथ्यों पर विचार नहीं किया जाता है-हालांकि, उच्च न्यायालय विशेष रूप से एस के संदर्भ में प्रस्तुत करने के आधार पर आगे बढ़ा।11, सदस्यों की कथित अयोग्यता के संबंध में अपील और उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों में गंभीर आपत्तियां उठाई गईं-उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया-क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) के आदेश और सहकारिता मंत्री के आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया-क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) की फाइल में कार्यवाही बहाल की गई-निर्देश जारी किए गए-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-प्रशासनिक कानून।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

717

718 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 5 एस. सी. आर.

ए.

प्रशासनिक कानून-प्रासंगिक जानकारी का खुलासा न करना-आयोजितःएक न्यायनिर्णायक निकाय अपने निर्णय को किसी भी सामग्री पर तब तक आधारित नहीं कर सकता जब तक कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इसका उपयोग करने की मांग की गई है, उसे इसके बारे में अवगत नहीं कराया गया है और उसे जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया है-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।

टी**.** ताकानो बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(2022) 8** एससीसी **162;** प्रबंध निदेशक**,** ईसीआईएल**,** हैदराबाद बनाम बी**.** करुणाकर **(1993) 4** एससीसी **727:[1993]**

बी.

2 पूरक।एससीआर **576-**पर निर्भर।

नटवर सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशक **(2010) 13** एससीसी **255:[2010] 13** एस**.** सी**.** आर**. 99;** कृष्ण चंद्र टंडन बनाम

सी.

भारत संघ ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1589:1974 (4) एससीसी

374; खुदिराम दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **(1975) 2**

एससीसी 81:[1975] 2 एस. सी. आर. 832; भारत संघ बनाम मोहम्मद।रमजान खान (1991) 1 एस. सी. सी. 588:[1990] 3 पूरक।एससीआर

248; 576; स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम एस**.** के**.** शर्मा **(1996)**

डी.

एससीसी 364:[1996] 3 एस. सी. आर. 972; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

रमेश चंद्र मंगलिक (2002) 3 एस. सी. सी. 443; कोठारी फिलामेंट्स बनाम कॉमर।सीमा शुल्क (2009) 2 एस. सी. सी. 192:

[2008] 17 एस**.** सी**.** आर**. 647-**संदर्भित।

प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों पर एम. पी. जैन और एस. एन. जैन का ग्रंथ-संदर्भित।

ई.

मामला कानून संदर्भ

(2022) 8 एससीसी **162**

उस पर भरोसा करें

पैरा **18 [2010] 13** एस**.** सी**.** आर**. 99** पैरा **18 1974 (4)** एस**.** सी**.** सी**. 374** पैरा **18 [1975] 2** एस**.** सी**.** आर**. 832** पैरा **18 [1990] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित किया गया है।एस**.** सी**.** आर**. 248** पैरा **18 [1993] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है। एस**.** सी**.** आर**. 576** पर निर्भर

एफ.

पैरा **18 [1996] 3** एस**.** सी**.** आर**. 972** पैरा **18 (2002) 3** एस**.** सी**.** सी**. 443** पैरा **18 [2008] 17** एस**.** सी**.** आर**. 647** पैरा **18** ए**.**

जी.

एच.

719

दीपाक आनंद पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस ए

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील Nos.88-89।

2021 की रिट याचिका Nos.4647 और 4609 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.09.2022 से।के साथ

बी.

2022 का एम. ए. Nos.1978-1979 2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 20001-20002 और 2022 की एस. एल. पी. (सी) Nos.22734-22737 में।

नीरज किशन कौल, मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अभिकल्प प्रताप सिंह, राघव अग्रवाल, तोशिव गोयल, ध्रुव शर्मा, सुश्री आद्या यादव, मैसर्स लॉयर एस. निट एंड कंपनी, एस. उदय

कुमार सागर, ईशान डी. खैरे, तुषार सिंह, काटुबादी इस्माइल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सी.

तुषार मेहता, एस. जी., केदार प्रल्हाद एल. ए. डी., धवेश पहुजा, संदीप सिंह, सिद्धार्थ धामधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भारत बागला, सुश्री कीर्ति दधीच, सिद्धार्थ भटनागर, सुश्री प्रचेता कर, आदित्य सिद्धरा, नदीम अफरोज, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई सिविल अपील संख्या **2023** की **88-89**

1.अनुमति प्रदान की गई।

ई.

2. ये अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 22 सितंबर 2022 को दिए गए फैसले से उत्पन्न होती हैं।

3. नौवें प्रत्यर्थी श्री छत्रपति राजाराम सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड, महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है।सोसायटी के अपने उपनियम हैं और यह मुख्य रूप से चीनी के उत्पादन में लगी हुई है।सहकारी समिति का अधिकार क्षेत्र कोल्हापुर जिले के सात तालुकों के 122 गाँवों तक फैला हुआ है और इसमें 17,173 कृषक सदस्य हैं।4. उपनियम 17-ए समाज के 'उत्पादक सदस्य' होने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।उप-कानून में कहा गया है कि एक सदस्य को (i) 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए; (ii) स्वामी या किरायेदार के रूप में सोसायटी/कारखाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि पर कब्जा करना चाहिए; और (iii) कम से कम 10 गुंठा भूमि के क्षेत्र में गन्ने की खेती करनी चाहिए।

एफ.

जी.

5. 2019 में, महाराष्ट्र सहकारी समिति की धारा 11 के प्रावधानों को लागू करते हुए 3 से 8 प्रत्यर्थीगणओं द्वारा शिकायतें दर्ज की गईं।

एच.

सोसायटी अधिनियम 1960।पंजीयक को संबोधित शिकायतों में लगभग 2000 सदस्यों को इस आधार पर हटाने की मांग की गई थी कि वे पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

6. 3 जनवरी 2020 को, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) ने सहकारी समिति को इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए एक संचार को संबोधित किया कि शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि जिन सदस्यों के नाम 'अनुलग्नक ए' के रूप में संलग्न सदस्यों की सूची में दिए गए थे, वे, जैसा भी मामला हो, कारखाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं रह रहे थे; दस गुंठा भूमि नहीं रखते थे; और उप-कानूनों के संदर्भ में पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। कारण बताने के नोटिस में इस तथ्य पर भी जोर दिया गया कि बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गई थीं जिसमें 20 दिसंबर 2019 को एक आदेश पारित किया गया था जिसमें क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को 15 फरवरी 2020 तक जांच समाप्त करने का निर्देश दिया गया था।

बी.

सी.

7. सहकारी समिति ने क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक से नोटिस प्राप्त होने पर उन सभी सदस्यों को एक प्रति भेजी, जिनकी पात्रता विवादित थी।कारण बताने के लिए नोटिस में लगाए गए आरोपों पर कम से कम कुछ सदस्यों ने विवाद किया था।सदस्यों ने इस आरोप पर आपत्ति जताई कि वे उपनियमों के संदर्भ में पात्र नहीं थे और अपनी पात्रता के समर्थन में सबूत पेश करने का अवसर मांगा।

डी.

ई.

8. 14 फरवरी 2020 को, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) ने निर्णय दिया कि जिन सदस्यों के नाम अनुलग्नक बी से अनुलग्नक बी-6 में दिए गए थे, उन्हें सोसायटी का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।इन सदस्यों का विभाजन इस प्रकार हैः

(i) 59 सदस्यों के पास कारखाने के अधिकार क्षेत्र में कृषि भूमि का न्यूनतम क्षेत्र नहीं था।

एफ.

((ii) 709 सदस्यों के पास कारखाने के अधिकार क्षेत्र में कृषि भूमि नहीं थी।

((ग) 205 सदस्यों के पास संरचनात्मक बंधक के आधार पर भूमि थी, जिसके लिए राजस्व अभिलेखों में कोई प्रविष्टि नहीं थी।

जी.

((iv) 33 सदस्यों की मृत्यु हो गई थी, जिनके नाम हटाने की आवश्यकता थी।

(v) 69 सदस्यों को एक से अधिक बार दर्ज किया गया था;

एच.

721

दीपाक आनंद पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य और हमारा [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]
ए

(vi) 2 सदस्यों की हिस्सेदारी रद्द कर दी गई; और (vii) कारखाने ने 338 सदस्यों को हटाने के लिए सहमति दी थी।आदेश के अनुलग्नक बी से बी-6 में शामिल कुल 1415 सदस्यों को हटाने का निर्देश दिया गया।484 सदस्य (अनुलग्नक ए और ए -1) पात्रता की शर्तों को पूरा करते हुए पाए गए।

बी.

9. महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 152 के तहत क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) के आदेश के खिलाफ एक अपील को सहकारिता मंत्री ने 18 फरवरी 2021 को खारिज कर दिया था।

10. इसके कारण उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं की स्थापना हुई।एकल न्यायाधीश ने 22 सितंबर 2022 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।एकल न्यायाधीश ने कहा है कि तथ्यात्मक पहलुओं पर कोई विवाद नहीं था और इस दलील पर विचार किया कि पंजीयक के पास यह जांच करने के लिए धारा 11 के तहत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि क्या कोई सदस्य सहकारी समिति के गठन या पंजीकरण के बाद अयोग्य घोषित किया गया था।एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि "समाज के गठन या पंजीकरण या निरंतरता के उद्देश्य से" अभिव्यक्ति को धारा 11 में संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था।इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 11 के तहत पंजीयक की शक्ति केवल सोसायटी के गठन या पंजीकरण के चरण में पात्रता की जांच करने तक ही सीमित नहीं है।

सी.

डी.

ई.

11. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह और श्री नीरज किशन कौल, मूल शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु

सिंघवी और महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को सुना है।चीनी कारखाने का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ भटनागर कर रहे हैं।

एफ.

12. अपीलार्थीगण की ओर से जो मुख्य निवेदन किया गया है, वह यह है कि व्यक्तिगत आधार पर इस बात की कोई जांच नहीं की गई है कि जिन सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की गई थी, उन्होंने उपनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया या नहीं।इस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया था किः

जी.

(i) सहकारी समिति को एक सर्वव्यापी नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन सदस्यों को सूचीबद्ध किया गया था जिन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

((ii) अलग-अलग सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता का कोई विशिष्ट आरोप नहीं था।

एच.

(iii) 20 दिसंबर 2019 के उच्च न्यायालय के एक आदेश का सामना करते हुए जिसमें जांच को 2 महीने से भी कम समय में यानी 15 फरवरी 2020 तक पूरा करने की आवश्यकता थी, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक ने प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत पात्रता पर विचार किए बिना जल्दबाजी में जांच शुरू की।

बी.

((iv) यद्यपि कारण दर्शाओ नोटिस में आरोपों को सत्यापित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन समिति की रिपोर्ट को सहकारी समिति या अयोग्य ठहराए जाने की मांग करने वाले सदस्यों को नहीं दी गई थी।इसलिए, यह आग्रह किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 152 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के आधार से संकेत मिलेगा कि तथ्यों पर अयोग्यता के निष्कर्षों पर गंभीर आपत्तियां थीं।चूंकि तथ्यों की जांच नहीं की गई है, इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) को रिमांड का आदेश दिया जाएगा।

सी.

डी.

13. जांच में मूल शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहाः

(i) व्यक्तिगत पात्रता की जांच की कमी के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई प्रस्तुति नहीं दी गई थी; और

ई.

((ii) केवल धारा 11 के आधार पर निवेदन करने का आग्रह किया गया था।

इसलिए, यह आग्रह किया गया कि अपीलार्थीगण के लिए कोई अन्य निवेदन करने के लिए यह खुला नहीं होगा और यदि वे उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित हैं, तो सही उपाय समीक्षा के रूप में होगा।14. डॉ. सिंघवी के प्रस्तुत करने का दूसरा अंग यह है कि क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक और अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में तथ्यात्मक पहलुओं पर समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनकी पुष्टि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका को खारिज करके की गई है।इसलिए, यह आग्रह किया गया कि इस न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए कोई वारंट नहीं है।

एफ.

जी.

15. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते समय, अभिलेख से कुछ बुनियादी तथ्य सामने आते हैं।ए के संबंध में विवाद उठाने वाली शिकायतों के आधार पर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) द्वारा 3 जनवरी 2020 को सहकारी समिति को एक सर्वव्यापी कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था।

एच.

723

दीपाक आनंद पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य और हमारा [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]
ए

लगभग 2,000 सदस्यों की पात्रता।सहकारी समिति ने प्रत्येक सदस्य को कारण दर्शाओ नोटिस की एक प्रति भेजी।

16. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता का निवेदन दर्ज किया है कि आरोपों को सत्यापित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) को सौंप दी थी।रिपोर्ट, जहाँ तक इसमें व्यक्तिगत सदस्यों की पात्रता के संबंध में निष्कर्ष शामिल हैं, सदस्यों के लिए

अपनी कथित अयोग्यता के अनुरोध के संबंध में अपना बचाव स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण थी।रिपोर्ट की एक प्रति व्यक्तिगत सदस्यों या सहकारी समिति को नहीं दी गई थी।17. यह प्रशासनिक कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक न्यायनिर्णायक निकाय अपने निर्णय को किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं कर सकता है जब तक कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इसका उपयोग करने की मांग की गई है, उसे इसके बारे में सूचित नहीं किया गया है और उसे जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया है।व्यापक रूप से उदाहरणों का सर्वेक्षण करते हुए, एम. पी. जैन और एस. एन. जैन का प्रशासनिक कानून 1 के सिद्धांतों पर ग्रंथ नोट करता है किः

बी.

सी.

डी.

"यदि न्यायनिर्णायक निकाय किसी पक्षकार के विरुद्ध अपने निर्णय के लिए किसी सामग्री, साक्ष्य या दस्तावेज पर भरोसा करने जा रहा है, तो उसे उसके संज्ञान में लाया जाना चाहिए और उसे इसका खंडन करने या उस पर टिप्पणी करने का अवसर दिया जाना चाहिए।यह प्राकृतिक न्याय का एक मौलिक सिद्धांत माना जाता है कि किसी भी पक्ष को जवाब देने का अवसर दिए बिना उसके खिलाफ किसी भी सामग्री पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के अधिकार का बहुत कम मूल्य हो सकता है यदि व्यक्ति को उसके खिलाफ साक्ष्य के रूप में अंधेरे में रखा जाता है और उसे इससे निपटने का अवसर नहीं दिया जाता है।उस सामग्री को जानने का अधिकार जिस पर प्राधिकरण अपने निर्णय को आधार बनाने जा रहा है, अधिकार का एक तत्व है।

ई.

अपनी रक्षा करने के लिए।यदि पक्ष को किसी भी साक्ष्य का खुलासा किए बिना, प्राधिकरण इसे अपने विचार में लेता है, और पक्ष के खिलाफ मामले का फैसला करता है, तो निर्णय दूषित हो जाता है क्योंकि यह पक्ष को उसके खिलाफ मामले को पूरा करने के लिए एक वास्तविक और प्रभावी अवसर से इनकार करने के बराबर है।इस सिद्धांत को कई न्यायिक घोषणाओं में काम करते हुए देखा जा सकता है जहां प्रभावित पक्ष को सामग्री का खुलासा न करने को सुनवाई की कार्यवाही की वैधता के लिए घातक माना गया है।

एफ.

जी.

(बल दिया गया**)**

1 एम. पी. जैन और एस. एन. जैन, प्रशासनिक कानून के सिद्धांत (लेक्सिसनेक्सिस, 8 वां संस्करण) 490-91 पर।

एच.

18. टी. टाकानो बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 2 में,

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हममें से एक हिस्सा था (डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.) ने जांच सामग्री का खुलासा करने के कर्तव्य पर इस न्यायालय के मामलों की पंक्ति पर चर्चा की।न्यायालय ने नटवर में अनुपात का विश्लेषण किया

सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशक **3,** कृष्ण चंद्र टंडन बनाम भारत संघ **4,** खुदीराम दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **5,** भारत संघ बनाम मोहम्मद।रमजान खान **6,** प्रबंध निदेशक**,** ईसीआईएल**,** हैदराबाद बनाम बी**.** करुणाका **7,** स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम एसके शर्मा **8,** उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश चंद्र मंगलिक **9,** कोठारी फिलामेंट्स बनाम कम्र।सीमा शुल्क **10** में से**,** और नोट किया किः

बी.

"39. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैंः

सी.

(i) एक अर्ध**-**न्यायिक प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह उस सामग्री का खुलासा करे जिस पर निर्णय के चरण में भरोसा किया गया है**;** और

((ii) प्राधिकरण का यह स्पष्ट संकेत कि उसने कुछ सामग्री पर भरोसा नहीं किया है, उसे ऐसी सामग्री का खुलासा करने के अपने दायित्व से छूट नहीं देगा यदि यह प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के लिए प्रासंगिक है और इसका कोई संबंध है।सभी उचित संभावनाओं में, ऐसी सामग्री ने प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय को प्रभावित किया होगा।

डी.

इस प्रकार**,** वास्तविक परीक्षण यह है कि क्या जिस सामग्री का खुलासा करने की आवश्यकता है वह निर्णय के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है।यदि ऐसा है**,** तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए इसके उचित प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।**"**

ई.

(बल दिया गया**)**

एफ.

वर्तमान मामले में, यह निर्विवाद है कि क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) को प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित निष्कर्ष शामिल हैं -

2 (2022) 8 एससीसी 162 3 (2010) 13 एससीसी 255 4 एआईआर 1974 एससी 1589 5 (1975) 2 एससीसी 81 6 (1991) 1 एससीसी 588 7 (1993) 4 एससीसी 727 8 (1996) 3 एससीसी 364 9 (2002) 3 एससीसी 443 10 (2009) 2 एससीसी 192 ए

जी.

एच.

725

दीपाक आनंद पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य और हमारा [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]
ए

व्यक्तिगत सदस्यों की पात्रता को ध्यान में रखते हुए।यह निर्णय के उद्देश्य के लिए निर्भर और प्रासंगिक दोनों था।यह भी निर्विवाद है कि रिपोर्ट व्यक्तिगत सदस्यों या सहकारी समिति को प्रदान नहीं की गई थी।

19. इस तरह के गैर-प्रकटीकरण के प्रभाव के मुद्दे पर, टी. टाकानो में, बी. करुणाकर 11 में संविधान पीठ के अनुपात का सारांश देते हुए, हमने नोट किया किः

बी.

"करुणाकर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि प्रासंगिक जानकारी का खुलासा न करना अपने आप में सजा के आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सजा के आदेश को दरकिनार करने के लिए, पीड़ित व्यक्ति को यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि गैर-प्रकटीकरण के कारण उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।पूर्वाग्रह साबित करने के लिए, उसे यह साबित करना होगा कि अगर उसे सामग्री का खुलासा किया गया होता तो परिणाम या सजा होती।

सी.

अलग थे।प्रकटीकरण की सीमा के लिए परीक्षण और गैर-प्रकटीकरण के लिए संबंधित उपचार उस उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसे प्रकटीकरण प्राप्त करना चाहता है।इसलिए, निर्णय की विश्वसनीयता पर गैर-प्रकटीकरण के प्रभाव को कार्यवाही की समग्र निष्पक्षता के साथ भी निर्धारित किया जाना चाहिए।फैसले और सजा की विश्वसनीयता का निर्धारण करते समय, अदालत को परिणाम के सहायक उद्देश्यों के लिए अज्ञात जानकारी के संभावित उपयोगों पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।"

डी.

ई.

व्यक्तियों की पात्रता पर निष्कर्षों से सीधे संबंधित समिति की रिपोर्ट किसी भी व्यक्ति के लिए उन तथ्यात्मक पहलुओं पर विवाद करने के लिए प्रासंगिक होती, जिनके आधार पर उनकी पात्रता पर सवाल उठाया गया था।इसके अलावा, व्यक्तियों को किसी अन्य विशिष्ट आरोप या अयोग्यता के आधार उपलब्ध कराए जाने के अभाव में, यह निश्चित है कि रिपोर्ट का खुलासा न करने से उनके लिए पूर्वाग्रह पैदा हुआ।

एफ.

20. इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि उच्च न्यायालय द्वारा 15 फरवरी 2020 तक जांच के समापन के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया था। कारण बताने के नोटिस में विशेष रूप से उस निर्देश का उल्लेख किया गया था जिसके संदर्भ में क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच समाप्त करनी थी।न ही

जी.

11 सुप्रा

एच.

क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) के आदेश और न ही अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में प्रत्येक सदस्य की पात्रता से संबंधित तथ्यों पर विचार किया गया है।क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक के निष्कर्षों को उस क्रम के अनुलग्नक में संक्षेपित किया गया है जिसके अनुलग्नक बी से बी-6 को इस निर्णय के पहले भाग में संक्षेपित किया गया है।प्रत्येक सदस्य की अयोग्यता की प्रकृति, अयोग्यता के आधार या इस दावे के समर्थन में प्रस्तुत की गई दस्तावेजी सामग्री पर कोई विचार नहीं किया गया है कि सदस्य अयोग्य था।

बी.

21. अपीलार्थीगण की ओर से निवेदन है कि 1984 में कई सदस्यों को सोसायटी के सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया था और क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक की कार्रवाई के परिणामस्वरूप, उन्हें सहकारी समिति की सदस्यता खोने के परिणामस्वरूप गंभीर पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा।धारा 11 के तहत आदेश के सदस्यों के लिए गंभीर परिणाम हैं। क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक द्वारा इस प्रकार का एक सर्वव्यापी आदेश पारित किया गया है, जिससे पहले सहकारी समिति को कारण बताने के लिए एक सामान्य नोटिस जारी किया गया था।प्रत्येक सदस्य के खिलाफ अयोग्यता के आधार पर कोई विचार नहीं किया गया है।

धारा 11 के तहत आदेश किसी विशेष व्यक्ति को सोसायटी की सदस्यता से बाहर करने के लिए संचालित होता है।प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन प्रत्येक सदस्य के संबंध में किया जाना चाहिए जिसकी सदस्यता को हटाने की मांग की जाती है।प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ था।

सी.

डी.

ई.

22. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार करना और क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को कार्यवाही बहाल करना उचित होगा।यद्यपि उच्च न्यायालय ने धारा 11 के संदर्भ में प्रस्तुत करने के आधार पर विशेष रूप से कार्यवाही की है, हम रिकॉर्ड से पाते हैं कि सदस्यों की कथित अयोग्यता के संबंध में अपील और उच्च न्यायालय के समक्ष अभिवचनों दोनों में गंभीर आपत्तियां उठाई गई थीं।एक सहकारी समिति की सदस्यता से सदस्यों के इतने बड़े समूह को बाहर करने के परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता होगी जब तक कि प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत तथ्यों पर विचार नहीं किया जाता है।

एफ.

जी.

23. तदनुसार हम निम्नलिखित शर्तों में अपीलों की अनुमति देते हैंःए। हम (i) 22 सितंबर 2022 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश; (ii) 14 फरवरी 2020 के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) के आदेश; और (iii) 18 फरवरी 2021 के सहकारिता मंत्री की अपील में आदेश;

एच.

बी। कार्यवाही क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (चीनी) की फाइल में बहाल हो जाएगी।

ग. चूंकि सदस्य इन कार्यवाहियों में उपस्थित हुए हैं, इसलिए सदस्यों को कारण बताने के लिए आगे किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

बी.

घ. जिन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाती है, वे समिति की जांच रिपोर्ट के साथ-साथ शिकायतों और दस्तावेजों की प्रतियों का खुलासा करने के हकदार होंगे जो

उनसे संलग्न हैं।यह प्रक्रिया इस आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

सी.

ङ. इसके बाद, सदस्य एक महीने की अवधि के भीतर अपना जवाब देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

च. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक इसके बाद तीन महीने की अवधि के भीतर सदस्यों को सुनवाई का अवसर देने के बाद नए आदेश पारित करेगा।

डी.

24. उपरोक्त शर्तों में अपीलों की अनुमति होगी।25. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

2022 की एमए संख्या **1978-1979**

ई.

26. 2022 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 20001-20002 को बहाल करने की मांग करने वाले अंतर्वर्ती आवेदनों की अनुमति है।

27. विशेष अवकाश याचिकाओं को उनके मूल नंबरों में दाखिल करने के लिए बहाल किया जाता है।

2022 की एसएलपी **(**सी**)** संख्या **20001-20002** और **22734-22737**

एफ.

28. 2023 की सिविल अपील संख्या 88-89 में पारित आदेश के संदर्भ में, विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

29. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उसी के अनुसार निपटाए जाते हैं।

जी.

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः दयार और रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

एच.